न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/39/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/192

अपीलार्थी

श्री शिवराम,
सहायक उप निरीक्षक
सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02.05.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.09.2021 के माध्यम से श्री मूल्याराम पुत्र श्योनारायण मीना, जाति–मीना, ग्राम–उकेरी, तहसील–राजगढ (रैणी) जिला–अलवर पटवारी हल्का भूड़ा की सन् 1956 व 1965 में ग्राम उकेरी व भूड़ा में इनके नाम कितनी जमीन थी, उसकी जमाबन्दी व दोनों गांवों के नक्शे की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना प्रत्यर्थी के क्षेत्राधिकार में संधारित नहीं होने के कारण उनके द्वारा पत्रांकः 1702–04 दिनांकः 10.09.21 के माध्यम से मूल आवेदन तहसीलदार राजगढ/रैणी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया है।
5. अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 13.04.2022 के माध्यम से प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) रैणी द्वारा गलत सूचना देने के आक्षेप पर मुख्यतः यह अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
6. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्रांकः 985 दिनांकः 26.04.22 के माध्यम से, जिसकी प्रति तहसीलदार राजगढ/रैणी व अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व सूचना आवेदन दिनांकः 01.09.2021 में वांछित सूचना के अनुक्रम में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर पर गौर/मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रत्यर्थी के क्षेत्राधिकार में संधारित नहीं होने के कारण मूल आवेदन तहसीलदार राजगढ/रैणी को अन्तरित किया गया है।
8. अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील इसी स्तर पर **ड्रॉप** की जाती है तथापि लोकहित में **तहसीलदार राजगढ/रैणी** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में उनके अभिलेख पर संधारित सूचना, सटीक, स्पष्ट व अधिप्रमाणित कर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार राजगढ/रैणी को पालनार्थ प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 02.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)